हरियाणा सरकार
सिविल विमान्न विभाग
अधिसूचना
दिनांक 12 अगस्त, 2009

सं.सा.का.नि. 38/संवि/अनु.309/96––भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा सिविल विमान्न विभाग (ग्रुप–घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः––

भाग–1 सामान्य

1.	ये नियम हरियाणा सिविल विमान्न (ग्रुप–घ) सेवा नियम, 1996, कहे जा सकते हैं।		संक्षिप्त नाम
2	इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–		परिभाषाएं
	क.	"सलाहकार" से अभिप्राय है, सलाहकार, सिविल विमान्न, हरियाणा।	
	ख.	"सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकारः	
	ग.	"सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पद्धारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई होः	
	घ.	"सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल विमान्न (ग्रुप–घ) सेवाः	
	ड.	"संस्था" से अभिप्राय है,––	
	(i)	हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्थाः या	
	(ii)	इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था।	

भाग–II– सेवा में भर्ती

3.	सेवा में इन नियमों में परिशिष्ट क में दर्शाये गये पद होंगेः		पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप
	परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप में बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकारी पर प्रभाव नहीं डालेगी।		
4.	(1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,––		सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।
	क.	भारत का नागरिक : या	
	ख.	नेपाल की प्रजा : या	
	ग.	भूटान की प्रजाः या	
	घ.	तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया होः या	
	ड.	भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व, टांगानिका और जंजीवार), जांबिया, मलाबी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया होः परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ड.) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।	
	2	कोई भी, व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए तो प्रविष्ट किया जा	

		सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही किया जा सकता है।	
	3.	कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में, उससे भली–भान्ति परिचित हों, और जो उनके विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें।	
	5.	कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जिसकी आयु रोजगार विभाग को मांग–पत्र भेजने की तिथि को 16 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक न हो।	आयु
	6.	परिशिष्ट "क" में दर्शाये गये सेवा में किन्हीं पदों पर नियुक्तियां सलाहकार द्वारा की जायेंगी	नियुक्ति प्राधिकारी।
	7.	कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना–3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उपर्युक्त परिशिष्ट के खाना–4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो। परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में भर्ती प्राधिकरण के विवके पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जायेगी। यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए	योग्यताएं।

		उपलब्ध न हों: ऐसा न करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।	
	8.	कोई भी व्यक्ति,——	अयोग्यताएं।
	क.	जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है: या	
	ख.	जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है:——	
		सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन सेवा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी है तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के लागू होने से छूट दे सकता है।	
	9.	(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:—	भर्ती का ढंग
	क.	दफतरी की दशा में,——	
		(i) जमादार से पदोन्नति द्वारा : या (ii) सीधी भर्ती द्वारा : या (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
	ख.	जमादार की दशा में,——	
		(i) सेवादार, चौकीदार तथा चौकीदार—कम—माली—कम— (ii) स्वीपर में से पदोन्नति द्वारा: या (iii) सीधी भर्ती द्वारा : या (iv) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में से ऐसे पद पर पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:	

	ग.	हैल्पर की दशा में,––	
		(i) सीधी भर्ती द्वारा ःया (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में से ऐसे पद पर पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः	
	घ	सेवादार, चौकीदार तथा चौकीदार–कम–माली–कम–स्वीपर की दशा में,––	
		(i) सीधी भर्ती द्वारा ःया (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में से ऐसे पद पर पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः	
2	सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा अपेक्षित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए अधिकार नहीं देगी।		
	10.	(1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भत्री क्षरा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि वह अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः परन्तु,––	परिवीक्षा।
	क.	किसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगाः	
	ख.	स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवके पर इस	

		नियम के अधीन नियम परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है: और	
	ग.	स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु कोई व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानान्तरण रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की निहित अवधि के पूरा होने पर यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।	
	2.	यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह ––	
	क.	यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसकी सेवायें समाप्त कर सकता है: और	
	ख.	यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो	
		(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है: या (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुज्ञात करें।	
	3.	किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,––	
	क.	यदि उसका कार्य तथा आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक रहा हो तो,––	
		(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है: या (ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो स्थायी रिक्ति होने पर तिथि से पुष्ट कर सकता है।	

		(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है:या	
	ख.	यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,––	
		(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है, यदि अनयथा नियुक्त किया गया हो, उसे पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निंबधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें: या (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था: परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	11.	सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी: परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां ज्येष्ठता संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जाएगी: परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय भर्ती प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं	ज्येष्ठता

		किया जायेगाः परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगीः–	
	क.	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगाः	
	ख.	पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगाः	
	ग.	पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों की ऐसी नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थेः और	
	घ.	स्थानान्तरण द्वारा उसके कार्यालय में नियुक्ति सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी जिस संवर्ग में वह पहले थेः	
	ड.	विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।	
	12.	(1) सेवा का कोई भी सदस्यः नियुक्ति प्राधिकारी द्वाराः हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान परः सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिए उत्तरदायी होगा। (2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा के लिए	सेवा करने का दायित्व।

		प्रतिनियुक्त किया जा सकता है––	
		(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं: जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है या हरियाणा राज्य के भीतर नगम निगम सर स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय: (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो: या (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्व निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय: परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।	
	13.	वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों क्षरा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल क्षरा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी	वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

		विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।	
	14.	(1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगेः परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं। (2) हरियाणा सिविल सविा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट है।	अनुशासन, शास्तिय तथा अपीलें।
	15.	सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा।	टीका लगवाना।
	16.	सेवा का प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।	राजनिष्ठा की शपथ।
	17.	ज्हां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।	ढील देने की शक्ति।
	18.	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें	विशेष उपबन्ध।

		लगाना उचित समझे तो ऐसा कर सकता है।	
	19.	इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी, किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी: परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी सभी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।1	आरक्षण।
	20.	इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किया जाता है: परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।	निरसन व्यावृति।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

पद संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	दफ्तरी	1	—	1	4440-7440+1300 Grade Pay
2	जमादार	1	—	1	4440-7440+1300 Grade Pay
3	हैल्पर	2	3	5	4440-7440+1300 Grade Pay
4	सेवादार	4	1	5	4440-7440+1300 Grade Pay
5	चौकीदार	.	1	1	4440-7440+1300 Grade Pay
6	चौकीदार–कम–माली–कम–स्वीपर	1	5	6	4440-7440+1300 Grade Pay
	कुल जोड़	9	10	19	

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव यदि कोई हो
1.	2.	3.	4.
1	दफ्तरी	(i) मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी सहित आठवीं पासः (ii) साईकिल चलाने का ज्ञानः	(i) मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी सहित आठवीं पासः (ii) जमादार के पद पर 5 वर्ष का अनुभवः
2	जमादार	(i) मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी सहित आठवीं पासः (ii) साईकिल चलाने का ज्ञानः	(i) मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी सहित आठवीं पासः (ii) साईकिल चलाने का ज्ञानः (iii) सेवादार, चौकीदार तथा चौकीदार–कम–माली–कम–स्वीपर के पद पर 3 वर्ष का अनुभव
3	हैल्पर	(i) विमान्न हैल्पर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं मैट्रिक (ii)वांछनीय योग्यताएंः (क) निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किए गए प्रशिक्षण का प्रमाण पत्रः (i) मोटर मकैनिक (ii)इन्स्ट्रूमैंट मकैनिक	(i) मैट्रिक तथा निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से किए कए प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्रः (i) मोटर मकैनिक (ii)इन्स्ट्रूमैंट मकैनिक (iii)रैफ्रीजिरेशन और एयरकण्डीशनिंग मकैनिक (iv) फिटर (v) बिजली मिस्त्री

		(iii)रैफ्रीजिरेशन और एयरकण्डीशनिंग मकैनिक (iv) फिटर (v) बिजली मिस्त्री (vi) रेडियो / टी.वी. (ख) विमान्न उद्योग का दो वर्ष का अनुभव या किसी ख्याति प्राप्त संस्था में अर्धकुशल मिस्त्री का दो वर्ष का सामान्य अनुभव	(vi) रेडियो / टी.वी. (ii) हैल्पर के पद का दो वर्ष का अनुभव।
4	सेवादार	(i) मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी सहित आठवीं पासः (ii) साईकिल चलाने का ज्ञानः	(i) मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी सहित आठवीं पासः (ii) साईकिल चलाने का ज्ञानः (iii) सेवादार के पद का दो वर्ष का अनुभव।
5	चौकीदार	(i) मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी सहित आठवीं पासः (ii) साईकिल चलाने का ज्ञानः	(i) मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी सहित आठवीं पासः (ii) साईकिल चलाने का ज्ञानः (iii) चौकीदार के पद का दो वर्ष का अनुभव।
6	चौकीदार–कम–माली–कम–स्वीपर	i) अंग्रजी तथा हिन्दी में काम करने का ज्ञानः (ii) साईकिल चलाने का ज्ञानः (iii) माली के काम करने का ज्ञान।	i) मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी सहित आठवीं पासः (ii) साईकिल चलाने का ज्ञानः (iii) माली के काम करने का ज्ञान। (iv) चौकीदार–कम–माली–कम–स्वीपर के पद का दो वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रमांक	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सक्षम अधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. लघु शास्तियां					
1	दफ्तरी	सलाहकार	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनीः (ii) परिनिन्दाः (iii) पदोन्नति रोकनाः (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की या ऐसी कम्पनी तथा संगठन तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या विश्व–विद्यालय को हुई	सलाहकार	सरकार
2	जमादार				
3	हैल्पर				
4	सेवादार				
5	चौकीदार				
6	चौकीदार–कम–माली–कम–स्वीपर				

			धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूलीः (v)संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना		
2. बड़ी शास्तियां					
		सलाहकार	(vi)संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकनाः (vii)किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयधान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवधि उसकी भावी वेतनवृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहींः (viii)निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी	सलाहकार	सरकार

			के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पद, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोग होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बार में शर्तो सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगाः (ix)अनिवार्य सेवा निवृतिः (x)सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए अयोग्यता नहीं होगीः (xi)सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः अयोग्यता होगी।		

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रमांक	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.
1	दफ्तरी	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुशेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना: (ii) सेवा के किसी सदस्य को अनेक अधिवर्षिता के लिए नियत आयु प्राप्त करने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सलाहकार	सलाहकार
2	जमादार			
3	हैल्पर			
4	सेवादार			
5	चौकीदार			
6	चौकीदार–कम–माली–कम–स्वीपर			

हस्ता/–
वित्तायुक्त एवं प्रधान सरकार, हरियाणा सरकार,
सिविल विमान्न विभाग।